तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/8/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28/8/25 को पेश हो ह०	
28/8/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 9/9/25 को पेश हो ह०	
9/9/25	वकलाए उप. / अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रा.पत्र पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र एवं नवीन TDR रिपोर्ट दि. 11/9/25 को पेश हो। ह०	
11/9/25	वकलाए उप.। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 18/9/25 को पेश हो।	
18/9/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 24/9/25 को पेश हो ह०	
24/9/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर कृषि जोत तक पहुंच हेतु नवीन मार्ग सृजित	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
155/प्रा0पत्र/2024	04.03.2024	24.09.2025

1. नरेश आत्मज श्री प्रेमचंद जाति महाजन निवासी भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज.।
2. बुद्धिप्रकाश आत्मज श्री प्रेमचंद जाति महाजन निवासी भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज. ।
3. राजेश आत्मज श्री प्रेमचंद जाति महाजन निवासी भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज.।
4. लोकेश आत्मज श्री प्रेमचंद जाति महाजन निवासी भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी राज.

--प्रार्थीगण

बनाम

1. देवलाल कुशवाह आत्मज श्री सुखा कुशवाह जाति (काछी) कुशवाह नि0 भोपतपूरा तहसील तालेडा जिला बूंदी
2. राजस्थान राज्य जये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री हिम्मत सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थी :– श्री नन्दसिंह

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि खाता सं. नया 209 पुराना 191 की खसरा स. 301 रकबा 4.5244 हैक्टेयर वाके ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 301 पर जाने का रास्ता खसरा सं. 307 से होकर आता जाता है। खसरा सं. 301 के लगवा 307 विस्थित है, जहाँ से पहले प्रार्थीगण खेत पर आया जाया करते थे, परन्तु अब उक्त खसरा सं. 307 अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा उक्त भूमि से रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है तो प्रार्थी के पास निकलने के लिये कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण के उक्त खसरा सं. 301 तक आने जाने का रास्ता खसरा सं. 307 के प्रार्थीगण के खेत से दक्षिणी पूर्वी से 30 फिट का रास्ता अप्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 307 से दिया जा सकता है। प्रार्थीगण के द्वारा आप अप्रार्थीगण सं. 1 से पूर्व में भी निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी के द्वारा उक्त रास्ता देने से मना कर दिया एवं कहा कि उक्त रास्ता नहीं दिया जायेगा एवं जब दिनांक 06.09.2023 को मुझ प्रार्थीगण के द्वारा अपने टैक्टर को मेरे खेत पर लाने के लिये अप्रार्थी की भूमि में से होकर निकाला तो अप्रार्थी के प्रतिनिधियो ने मुझ प्रार्थीगण को रोका एवं कहा कि मैं प्रार्थी यहाँ से नहीं निकल सकता है यह कोई आम रास्ता नहीं है तो मुझ प्रार्थीगण के द्वारा कहा गया कि रास्ते के सबंध में जितना भी पैसा तुम्हारा बन रहा है वह मुझसे ले लो परन्तु मुझ प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच कर मुझे वहाँ से भगा दिया और कहा कि कोई पैसा नहीं लेना। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के अनुसार यदि कृषि भूमि पर जाने का कोई रास्ता विधमान नहीं हो तो रास्ते की मांग प्रार्थीगण के द्वारा की जा सकती है। जिस बाबत प्रार्थीगण को वैध रकम जो मौका रिपोर्ट के अनुसार तय हो वह अप्रार्थी को अदा कर जितनी भूमि रास्ते में गई है का दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किया जा सकता है जिस बाबत प्रार्थीगण तैयार है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से इस प्रकार की अधिकार घोषणा करवाने का अधिकारी है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 301 की दक्षिणी पूर्वी मेड से अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि खसरा सं. 307 की नक्शा ट्रेस जो प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 301 से 307 तक जाता है का लाल स्याही से अकंन है पर अप्रार्थी सं. 2 या उसके प्रतिनिधि की मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक पहुंच के लिये रास्ते की घोषणा करवाये जिस बाबत प्रार्थीगण मान्यवर के द्वारा किये गये आदेशानुसार रकम अप्रार्थी को देने को तैयार है। प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 301 की दक्षिणी पूर्वी मेड से अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि खसरा सं. 307 की नक्शा ट्रेस जो प्रार्थीगण की भुमि खसरा सं. 301 से 307 तक

Scanned with OKEN Scanner

है का लाल स्याही से अकन को 30 फिट चौडा एवं 100–150 फिट लम्बे रास्ते की मौका रिपोर्ट के अनुसार र्थी के खेत खसरा सं. 301 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता प्रार्थीगण को दिलवाया जावे तब तक अप्रार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह प्रार्थीगण को रास्ते से निकलने में बाधा उत्पन्न नहीं करे। वाद कारण दिनांक 06.09.2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी के खेत खसरा सं. 301 तक अप्रार्थी सं. 1 ने स्वंय आने जाने से रोका तब उत्पन्न हुआ जब से निरन्तर बना हुआ है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 301 के दक्षिणी पूर्वी मेड से अप्रार्थीगण स.1 की कृषि भूमि खसरा सं. 307 की नक्शा ट्रेस जो प्रार्थीगण की भूमि खसरा स. 301 से 307 तक जाता है का लाल स्याही से अकंन वाले 30 फिट चौडा एवं 100–150 फिट लम्बा रास्ता प्रार्थीगण को दिलवाये जावे। जिस बाबत प्रार्थीगण मान्यवर के आदेशानुसार हर्जाना देने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण कभी अप्रार्थी की खातेदारी भूमि से नहीं निकलता था। प्रार्थीगण को आने जाने के लिए 30 फिट रास्ते की आवश्यकता नही होती केवल मुल्यवृद्वि हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। मौका रिपोर्ट दिनांक 17.01.2025 में भूमि की सरकारी दर कम बताई गई है। मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे में अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 307 के मध्य में से रास्ता प्रस्तावित किया गया जबकि राजस्व नक्शे के उत्तरी दिशा में खसरा संख्या 904/306 में से रास्ता दिया जा सकता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 02 तहसीलदार तालेडा द्वारा जरीय पत्रांक 3956 दिनांक 11.07.2025 एवं पत्रांक 216 दिनांक 17.01.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में ख0सं0 307 मे से प्रस्तावित किया गया मार्ग न्युनतम है एवं अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते हेतु कुल 0.0098 हैक्टयर भूमि दर्ज होगी। राजस्व नक्शे अनुसार प्रार्थीगण के खेत की सीमा तक पहुंच हेतु कुल लम्बाई 50 फीट एवं चौडाई 20 फीट कुल 1000 वर्गफीट भूमि प्रस्तावित की गई। अप्रार्थी संख्या 01 के आक्षेप के कम में प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि खसरा संख्या 307 के दक्षिणी दिशा में रास्ता प्रस्तावित किया गया है जिससे ख0सं0 307 के दो टुकडे नहीं होते। प्रस्तावित रास्ते के आगे रिक्त ख.सं. 774/599 है जो कि नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज है। आक्षेप में ख0सं0 904/306 में से वादी की भूमि तक पहुंच हेतु रास्ता प्रस्तावित करने पर रास्ते की दूरी लगभग 370 फीट होगी जबकि वर्तमान प्रस्तावित मार्ग की दूरी 50 फीट है जो कि न्यूनतम है।

पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित मार्ग हेतु सहमति व्यक्त की।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में नकल जमाबंदी खाता संख्या 209 वाके ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का बल्लोप सम्वत् 2076 एवं नकल जमाबंदी खाता संख्या 90 वाके ग्राम भोपतपुरा पटवार हल्का बल्लोप सम्वत् 2076 एवं नक्शा की प्रति पेश की।

वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंच हेतु न्युनतम रास्ता तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उपयुक्त है अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि पर नहीं होने से प्रार्थी को अपनी भूमि पर पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी सं0 1 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपनी भूमि की मुल्यवृद्वि हेतु यह प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि में पहुंच हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रस्तावित रास्ते से अप्रार्थी की भूमि के दो भाग हो जावेंगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंच हेतु न्युनतम होना अवगत कराते हुए रास्ता हेतु सहमति व्यक्त की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंच हेतु वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

Scanned with OKEN Scanner

लदार तालेडा द्वारा प्रस्तावित रास्ता भूमि ख0सं0 307 से न्यूनतम दूरी का है तथा नियमान्तर्गत होने से गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

परिणामतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 301 रकबा 4.5244 है0 वाके ग्राम भोपतपुरा पटवार मण्डल बल्लोप तहसील तालेडा में सिंचाई प्रयोजन/पहुंच के लिए खातेदार देवलाल कुशवाह पुत्र सुखा कुशवाह की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 307 रकबा 0.3480 है0 में से 0.0098 है0 (लम्बाई 50 फीट एवं चौडाई 20 फीट कुल 1000 वर्गफीट) भूमि संलग्न नक्शा अनुसार नया मार्ग सृजित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित किया जावे तथा रास्ता का सीमांकन किया जावे। राजस्व अभिलेखों में उक्त रास्ता दर्ज करने से पूर्व प्रार्थीगण से रास्ते में उपयोग आने वाली भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 राशि का दुगुना राजकोष में नियमानुसार जमा किया जावे तत्पश्चात् राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता अभिलिखित किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते के रूप मे दर्ज होने वाली भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में ही करेंगे, उस रास्ते पर कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे। आदेशानुसार पालना हेतु तहसीलदार तालेडा एवं प्रार्थीगण को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner